राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांक:स्थाई/भण्डार/कैन्टीन निविदा/2012/733

दिनांक : 23.3.12

निविदा सूचना

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर (स्वास्थ्य भवन) में कैन्टीन निविदा एक वर्ष के ठेके हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग संगठन में कैन्टीन संचालन के न्यूनतम दो वर्ष के अनुभवी ठेकेदारों से खुली निविदाए आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा विवरण निम्न प्रकार है :

1	मुख्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर
2	अमानत राशि	10,000/— रूपये
3	टेण्डर फार्म मिलने की अंतिम दिनांक	11.4.2012 प्रातः 11.00 बजे तक
4	टेण्डर फार्म जमा कराने/प्रस्तुत करने की दिनांक	11.4.2012 मध्यान्ह 3.00 बजे तक
5	निविदा खोलने की दिनांक	11.4.2012 मध्यान्ह 4.00 बजे

1. निविदाऐं निर्धारित निविदा फार्म में प्रस्तुत करनी होगी, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय से दिनांक 11.4.2012 को प्रातः 11.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रूपये 200/— (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) नकद/मनीऑर्डर द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि 200/— रूपये का अतिरिक्त डीडी/बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।
2. पूर्ण निविदा मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर "कैन्टीन निविदा" अंकित कर भण्डार अधिकारी (स्थाई) के पास दिनांक 11.4.2012 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ रूपये 10,000/— (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की नकद जमा रसीद/डीडी के रूप में जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में देय धरोहर राशि संलग्न की जानी आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाऐं दिनांक 11.4.2012 को मध्यान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

D:\Store\U-O Note.doc

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/–

जलपान गृह (कैन्टीन) का निविदा प्रपत्र

1. निविदा दिनांक 11.4.2012 को दोपहर 3.00 बजे तक स्थाई भण्डार में प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन दिनांक 11.4.2012 को उपस्थित निविदादाता के समक्ष सांय 4.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी।
2. निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की धरोहर राशि का ड्राफ्ट निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता का पूरा नाम ....

पूरा पता ....

....

दूरभाष नम्बर .... मोबाईल नम्बर ....

हस्ताक्षर निविदादाता

अनुसूची "अ"

कैन्टीन के लिए निविदादाता द्वारा प्रेषित दरें

क्र. सं.	सामग्री का नाम	
1	चाय 100 ग्राम मय 33 % दूध	
2	काफी 100 ग्राम मय 75 % दूध	
3	दूध मीठा 200 ग्राम	
4	समोसा 50 ग्राम	
5	कचौडी 50 ग्राम	
6	मिर्ची बड़ा 50 ग्राम	
7	कोफता 50 ग्राम	
8	पकौडी 100 ग्राम	
9	नमकीन 100 ग्राम	
10	दही की लस्सी 200 ग्राम	
11	गाजर हलवा 100 ग्राम	
12	बर्फी 100 ग्राम	
13	गुलाब जामुन 40 ग्राम	
14	छोले 100 ग्राम	
15	पेकेट लंच {दाल, एक सब्जी, चावल, पूडी–6, आचार मय सलाद }	
16	चाय 135 ग्राम दूध {सभाकक्ष / कमेटी कक्ष}	
17	काफी 135 ग्राम दूध {सभाकक्ष / कमेटी कक्ष}	
18	मिश्रीमावा 100 ग्राम	
19	दाल की पकौडी 100 ग्राम	
20	नमकीन मठरी 100 ग्राम	
21	बेकरी टोस्ट {रस बन्द प्रति नग}	
22	ब्रेड कोफता 100 ग्राम	
23	पपीता / पाईनेपल / बील ज्यूस	
24	आम / सन्तरा / मौसमी ज्यूस	
25	कोल्ड ड्रिंक्स	
26	पेटिज मय सोस	

हस्ताक्षर निविदादाता

अनुसूची "ब"

स्वास्थ्य भवन स्थित कैन्टीन के ठेके की शर्तें

1– कैन्टीन के लिये निर्धारित स्थल रसोई घर, रसोई स्टोर आदि को जैसी स्थिति में है, विभाग द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायें जायेंगे, जिसकी उपलब्धता के कम में ठेकेदार द्वारा रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) प्रति माह विभागीय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति राजस्थान जयपुर के खाते में जमा कराने होंग। रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा विभाग को चालू व ठीक हालत में वापिस सम्भलवाना होगा, सामान कार्यालय से बाहर नहीं ले जाने दिया जावेगा।

2– स्वास्थ्य भवन स्थित कैन्टीन हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य) महोदय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी मुख्यालय, लेखाधिकारी मुख्यालय, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय की एक समिति गठित कर यह समिति समय–समय पर स्वास्थ्य भवन की कैन्टीन की दरों एवं सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी।

3– कैन्टीन के स्थान को केवल कैन्टीन के लिए ही प्रयुक्त किया जायेगा।

4– शिकायत पुस्तिका उपयुक्त स्थान पर रखनी होगी ।

5– कैन्टीन कार्यालय समय से एक घन्टा पूर्व एवं एक घंटा पश्चात् तक खुली रखनी होगी। विशेष समारोह अथवा अन्य आदेश होने पर यह अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ सकती है। स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठकों इत्यादि में जलपान की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

6– निदेशक {जन स्वास्थ्य} या उनके द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी किसी भी समय कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते है।

7– खाने–पीने के पदार्थ की विक्रय मूल्य सूची उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी । कैन्टीन ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वस्तुओं की बिक्री की गयी तो ठेकेदार को प्रति शिकायत पर 100/– रूपयें जुर्माना विभाग में जमा कराना होगा ।

8– खाने–पीने के पदार्थ को स्वच्छ व साफ स्थान पर ढ़क कर रखना होगा तथा मक्खी, मच्छर आदि से सुरक्षित रखना होगा ।

9– ठेकेदार को निम्न व्यवस्था करनी होगी :–
(अ) खाने–पीने का सामान स्वयं ठेकेदार संबंधित कमरो में वितरण करेगा।
(ब) कैन्टीन के कर्मचारी वर्दी में रहेंगे ।
(स) कैन्टीन की क्राकरी ट्रे, जग व ग्लास आदि स्वच्छ एवं उच्च कोटी के होंगे तथा क्राकरी पर स्वास्थ्य भवन का नाम अकिंत होगा।

10– उधार की वसूली की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।

11– ठेके की अवधि के दौरान खाद्य सामग्री की किस्म व आकार में भिन्नता नही होगी ।

12– शिकायत की अवस्था में निदेशक {जन स्वास्थ्य} का निर्णय अंतिम होगा। सभी प्रकार की शिकायतो पर निर्णय लेने एवं आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन करने का अधिकार निदेशक {जन स्वास्थ्य} के पास सुरक्षित रहेगा ।

13– कैन्टीन का ठेका प्रारम्भ में केवल एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा । जलपान सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने पर ठेके की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है, इसके विपरीत शिकायतों के प्राप्त होने पर या कैन्टीन का संचालन ठीक ढंग से न पाये जाने पर ठेका बीच में रदद किया जा सकता है।

14– ठेकेदार को ठेके की निर्धारित शर्तों व दरों पर ही कार्य करना होगा, निविदा/ठेका शर्तों के विपरीत ठेकेदार की कोई शर्त स्वीकार नही होगी।

15– ठेकेदार को सामान की जमानत एवं नुकसान की गारंटी के रूप में बतौर धरोहर राशि रूपये 10,000{दस हजार मात्र} निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। सफल ठेकेदार की जमा अमानत राशि रूपयें 10,000 धरोहर राशि के समायोजन योग्य होगी।

16– ठेकेदार को कैन्टीन संचालन हेतु किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी जलपान संचालन का दो वर्ष का अनुभव का प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

17– विभाग द्वारा कैन्टीन हाल, रसोई घर व स्टोर आदि का किराया नही लिया जायेगा।

18– सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् एक एग्रीमेन्ट बाण्ड 500/– रूपयें के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये भर कर देना होगा। जिस पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साक्षियों के मय हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

19– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में केवल एल.पी.जी. (व्यवसायिक) गैस का उपयोग ही करना होगा अन्य किसी प्रकार का मिट्टी के तेल का स्टोव एवं कोयले की भट्टी वर्जित होगा। केन्टीन में कार्यरत कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी स्वयं केन्टीन ठेकेदार की होगी। विभाग की इससे कोई जिम्मेदारी नही होगी।

20– खाने–पीने की सामग्री का स्तर उच्च कोटि का होना अनिवार्य है। मनोनित खाद्य निरीक्षक को सामग्री कि किस्म की समय–समय पर खराबी पायी गई तो 500/–रूपयें का जुर्माना ठेकेदार को विभाग में जमा कराना होगा। खाद्य सामग्री की शिकायत पुनः आने पर कैन्टीन का ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

21– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में प्रयोग में लाये जाने वाली समस्त तोलने वाले बाट व तराजु इत्यादि नाप तौल विभाग द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

22– समस्त कानूनी कार्यवाहियां पार्टी किसी भी पक्ष {सरकार अथवा संविदाकार} द्वारा संक्षय किये जाने की आवश्यकता पड़े, जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी किसी अन्य स्थान पर नहीं।

23– अवकाश के दिवस में सभा कक्षों एवं कमेटी कक्ष में मीटिंग आदि होने पर कैन्टीन को खोलना पडेगा तथा खाद सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

24– बाजार से लिये गये सामान को उस पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर नही बेचा जायेगा, तथा कानूनन रूप से वर्जित किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा।

25– जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होगी उसी को ही कैन्टीन चलाने का अधिकार होगा, किसी भी दशा में इसको सबलेट नही किया जा सकेगा ।

26– जलपान गृह के ठेकेदार को पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

27– जलपान गृह {कैन्टीन} में आवश्यक फर्नीचर पंखे, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी ।

28– विद्युत व्यय के वास्तविक व्यय का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा इसके लिये विभाग द्वारा पृथक से सब मीटर लगाकर दिया जावेगा ।

29– निविदायें दिनांक 11.4.2012 को प्रातः 11:00 बजे तक विक्रय की जाकर मध्यान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिनांक 11.4.2012 को सांय 4.00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार योग्य नही होगी ।

30– अमानत राशि रूपयें 10,000/– नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि के अभाव में किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

31– न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण सभी मदों के लिये उसकी प्राप्त निविदा दरों व उनके औसत उपभोग के आधार पर किया जावेगा ।

32– अमानत राशि, अनुभव प्रमाण–पत्र व हस्ताक्षरित निविदा शर्तें संलग्न नही होने पर किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

मुझे उपरोक्त सभी 1 से 32 शर्तें मंजुर है तथा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर मेरी उपरोक्त 10,000/– {रूपयें दस हजार मात्र} की सिक्योरिटी राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक {जन स्वास्थ्य} चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता)